PMAY(U) घटक–IV के लिए मानगो नगर निगम ने चलाया

जागरूकता अभियान

घर के लिए रैयती या बिक्रीनामा भूमि होना जरूरी

दो दिनों के अंदर निगम में आवेदन देना है आवश्यक

पीएम आवास के लिए निगम ने चलाया अभियान

जमशेदपुर. मानगो नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक
चार का लाभ के लिए मानगोवासी आवेदन कर सकते हैं. निगम की ओर से
मंगलवार को योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान के तहत प्रचा
प्रसार किया गया. नगर निगम क्षेत्र में सीएलटीसी टीम द्वारा दौरा कर लोगों क
योजना की जानकारी दी जा रही है. कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय
बताया कि विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक चार
तहत लाभ लेने वाले वैसे आवास विहीन लोग, जिनका खुद का पक्का आव
पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है, वैसे लाभुक एक-दो दिनों के अंदर प्रधानम
आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कार्यालय में जमा कर सकते
लाभुक के पास रैयती, बिक्री नामा भूमि होना आवश्यक है. भूमि का ल
निर्गत या म्यूटेशन होना अनिवार्य है. लाभुक 17 जून 2015 से पूर्व से म
नगर निगम क्षेत्र का निवासी हो. मतदाता पहचान पत्र का होना अनिवा
लाभुक के परिवार का आधार कार्ड होना आवश्यक है. उनके परिवार की व
आय तीन लाख से कम होना चाहिए, लाभुकों द्वारा स्व घोषणा पत्र देना हो
पक्के का मकान पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उनके नाम पर नहीं है.

पक्का घर के लिए मानगो के लोग करें आवेदन

मानगो में पीएम आवास के संबंध में लोगों को किया जा रहा जागरूक • जागरण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जिनकी अपना जमीन है, लेकिन पक्का मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 4 का लाभ दिया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देश पर सिटी मैनेजर दिनेश्वर यादव के नेतृत्व में टीम प्रचार प्रसार के लिए घर-घर जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं।

दिनेश्वर यादव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सीएलटीसी टीम द्वारा दौरा कर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार प्रसार का कार्य नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव, सीएलटीसी के अपराजिता एवं निवास द्वारा किया जा रहा है। दिनेश्वर यादव ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मानगो नगर निगम क्षेत्र के लोगों को उठाना चाहिए। सरकार पत्र लोगों को घर बनाकर देना चाह रही है।

घर के लिए जमीन का होना जरूरी, दो दिनों के अंदर मानगो नगर निगम में आवेदन देना है आवश्यक

क्या है जरूरी

- लाभुक पास रैयती या बिक्रीनामा भूमि होना आवश्यक है।
- भूमि का लगान निर्गत या म्यूटेशन होना अनिवार्य है।
- लाभुक 17 जून 2015 के पूर्व से मानगो नगर निगम क्षेत्र का निवासी हो।
- मतदाता पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- लाभुक के परिवार का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- लाभुक तथा उनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम हो
- लाभुक के दो पासपोर्ट साइज का फोटो
- बैंक पासबुक का छाया प्रति होना आवश्यक है।
- स्व घोषणा पत्र देना होगा कि पक्के भारत में उनके नाम पर नहीं है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA